कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा

स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नार्थ–ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर, छ.ग. 492002

क्रमांक / 1368 / छात्र / काउंसिलिंग / संचिशि / 2026 रायपुर, दिनांक / 07/08/2026

छ.ग. राज्य शासकीय एवं निजी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में NEET- UG (MBBS & BDS) पाठयक्रम में प्रवेश वर्ष 2026 के प्रथम चरण काउंसिलिंग हेतु ऑनलाईन आवेदन सूचना

छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में संचालित स्नातक पाठ्यक्रम **(एमबीबीएस / बीडीएस)** में प्रवेश वर्ष 2026 के प्रथम चरण काउंसिलिंग हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते है।

सभी आवेदक ऑन–लाईन आवेदन करने के पूर्व क्रमांकः **RULE-503/30/2025/ MED.** छत्तीसगढ़ चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) स्नातक प्रवेश नियम, 2025 **(विशेषकर आरक्षण / काउंसिलिंग प्रक्रिया / बॉण्ड इत्यादि)** का पूर्णतः अध्ययन कर ही ऑनलाईन आवेदन प्रारंभ करें, जो की वेबसाइट *www.cgdme.in* में उपलब्ध है।

क्र.	प्रक्रिया का विवरण	विवरण
1	ऑनलाईन आवेदन शुल्क **(Non Refundable)**	1. अनारक्षित श्रेणी (UR) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी हेतु रू. 1000 /– (रू. एक हजार मात्र) 2. अनुसूचित जनजाति (ST) एवं अनुसूचित जाति (SC) श्रेणी हेतु रू. 500 /– (रू. पांच सौ मात्र) 3. अप्रवासी भारतीय नियतांश (NRI) हेतु रू. 10000 /– (रू. दस हजार मात्र)
2	पंजीयन राशि (सुरक्षा निधि राशि) - **(Registration/ Security Deposit Money)**	देखें इस सूचना के पेज क्रं.2 की पंजीयन राशि तालिका
3	ऑनलाईन आवेदन – प्रारंभ तिथि	दिनांक 09.08.2026, समय **Server Time 11:00 Hrs** (11:00 AM) से
4	ऑनलाईन आवेदन – अंतिम तिथि	दिनांक 16.08.2026, समय **Server Time 23:59 Hrs** (11:59 PM) तक
5	च्वाइस फिलिंग एवं लॉकिंग हेतु प्रारंभ एवं अंतिम तिथि (Choice Filling and Locking)	दिनांक 09.08.2026, समय **Server Time 11:00 Hrs** (11:00 AM) से दिनांक 17.08.2026, समय **Server Time 23:59 Hrs** (11:59 PM) तक

काउंसिलिंग के प्रत्येक चरण में अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन एवं पंजीयन की सुविधा उपलब्ध होगी तथा प्रत्येक चरण के लिए नवीन प्रावीण्य सूची प्रकाशित की जाएगी।

प्रथम चरण में काउंसिलिंग में आवंटन उपरान्त प्रवेशित छात्र जिन्होने अपग्रेडेशन का विकल्प भरा हों केवल वे ही, द्वितीय कांउसिलिंग में अपग्रेडेशन प्राप्त कर सकेंगे तथा प्रावीण्यतानुसार पूर्व से पंजीकृत अनावंटित अभ्यर्थी एवं नये पंजीकृत अभ्यर्थी भी द्वितीय काउंसिलिंग में पात्र होंगे।

क्रमशः....2......

पंजीयन राशि (सुरक्षा निधि राशि) **(Registration Fee / Security Deposit)** :– *यह राशि वापसी योग्य* **(Refundable)** *है, किन्तु प्रथम चरण के उपरान्त आगामी किसी भी चरण में आवंटन उपरान्त प्रवेश नहीं लेते है, तथा प्रवेश लेकर सीट त्यागते है तो, यह राशि राजसात* **(Forfeit)** *कर ली जायेगी। यह पंजीयन राशि (सुरक्षा निधि राशि) बीडीएस पाठ्यक्रम में लागू नहीं है)।*

(केवल पंजीयन राशि हेतु देखें: भारत का राजपत्र असाधारण भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् संशोधन अधिसूचना नई दिल्ली, 18 मई, 2018 सं.भा.आ.प.–34(41) /2018–मेड/109835 के नियम 5 की तालिका क्रमांक–4)

Category	For Government Medical Colleges (Security/ Registration Fee)	For Private Medical Colleges and for both Private and Government Medical Colleges (Security/ Registration Fee)
UR	Rs. 10,000/- (Rupees Ten Thousand only)	Rs. 1,00,000/- (Rupees One Lakh only)
SC/ST/OBC	Rs. 5,000/- (Rupees Five Thousand only)	Rs. 1,00,000/- (Rupees One Lakh only)

ऑन–लाईन पंजीयन आवश्यक जानकारी :–

1. ***ऑन–लाईन पंजीयन करने के पूर्व छत्तीसगढ़ चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) स्नातक प्रवेश नियम, 2025 का पूर्णतः अध्ययन कर ले, विशेषकर आरक्षण/काउंसिलिंग प्रक्रिया/बॉण्ड/दिव्यांगजन/अन्य संवर्ग इत्यादि।***

2. यदि ऑन–लाईन आवेदन पूर्ण करने के बाद Lock & Submit भी कर चुके है, तब भी **ऑनलाईन आवेदन में परिवर्तन करना चाहते है तो परिवर्तन हेतु निशुल्क Edit करने की सुविधा आवेदन की अंतिम तिथि तक उपलब्ध रहेगी किन्तु ऑनलाईन आवेदन में ऐसी प्रविष्टियॉ (एन्ट्री) जो कि केन्द्र शासन द्वारा उपलब्ध कराये गये परीक्षा परिणाम डाटा से सीधे आती हैं, उन प्रविष्टियों सहित आवेदक का स्वयं प्रविष्ट किया गया मोबाईल नम्बर, ई–मेल पता अपरिवर्तनीय रहेंगे।**

3. ***EWS श्रेणी की पात्रता का निर्धारण –*** राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (National Testing Agency) द्वारा घोषित NEET UG 2026 के परिणाम में उपलब्ध अभ्यर्थी की श्रेणी संबंधी जानकारी के आधार पर ही राज्य स्तरीय काउंसिलिंग में EWS श्रेणी की पात्रता का निर्धारण किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा NEET UG 2026 की परीक्षा में EWS श्रेणी का चयन किया गया है, केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को नियमानुसार राज्य स्तरीय काउंसिलिंग में EWS श्रेणी का लाभ प्रदान किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा NEET UG 2026 की परीक्षा में EWS श्रेणी के अतिरिक्त अन्य श्रेणी का चयन किया गया है, उन्हें राज्य स्तरीय काउंसिलिंग के दौरान EWS श्रेणी में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थियों की श्रेणी संबंधी जानकारी NTA से प्राप्त डेटा के अनुसार ही काउंसिलिंग पोर्टल में प्रदर्शित की जाएगी। इस संबंध में किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

4. काउंसिलिंग की प्रक्रिया एवं अन्य जानकारी हेतु संचालनालय की वेबसाईट www.cgdme.in एन.आई.सी. की वेबसाइट *https://cgdme.admissions.nic.in/* का नियमित अवलोकन करें।

क्रमशः....3......

5. काउंसिलिंग संबंधी सूचना जारी होने के पश्चात संवीक्षा एवं प्रवेश हेतु कम समय की संभावना बनी रहती है, अतः नियमित वेबसाईट www.cgdme.in एवं https://cgdme.admissions.nic.in/ का अवलोकन करें एवं समस्त दस्तावेजों की स्क्रूटनी एवं प्रवेश प्रक्रिया देखें, स्नातक प्रवेश नियम 2025 के नियम 7 (viii) का अवलोकन करें तथा ***सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध रखें*** (देखें : छत्तीसगढ़ चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा (फिजियोथैरेपी) स्नातक प्रवेश नियम–2025 के नियम 7 (xx)) ।

6. ऑनलाईन आवेदन में कोई भी त्रुटि (जैसे :– अपूर्ण आवेदन / पंजीयन फीस का गेटवे (**Bank Gateway**) से जमा न होना इत्यादि) होने पर आप अपात्र हो जाते हैं। अतः ऑनलाईन आवेदन की ***अंतिम तिथि से 24 घण्टे पूर्व कार्यवाही पूर्ण करना , एक सुरक्षित प्रक्रिया है।***

7. शुल्क जमा हेतु Internet Banking / Debit Cards & Credit Card, Options are available, उपलब्ध है। **उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन शुल्क और पंजीकरण शुल्क (सुरक्षा जमा राशि) का भुगतान उम्मीदवारों के स्वयं के बैंक खाते या उनके माता–पिता / अभिभावक के बैंक खाते के माध्यम से ही करें।** साथ ही, किसी भी आकस्मिक स्थिति के मामले में उन्हें एक वैकल्पिक बैंक खाता नंबर भी उपलब्ध कराना होगा। यदि अभ्यर्थी नियमानुसार रिफण्ड के लिए पात्र है तो उस जमाकर्ता खाते में ही पंजीयन राशि (**सुरक्षा निधि राशि**) का रिफण्ड किया जायेगा, जिस खाते से अभ्यर्थी द्वारा पंजीयन शुल्क का भुगतान किया गया है।

8. प्राथमिक बैंक खाते के साथ–साथ वैकल्पिक बैंक खाते को भी सक्रिय मोड में रखने की सलाह दी जाती है। यदि किसी अपरिहार्य एवं तकनीकी कारणों से प्राथमिक बैंक खाते में रिफंड नहीं होता है, तो पंजीकरण पोर्टल पर उम्मीदवार द्वारा उपलब्ध कराए गए वैकल्पिक सक्रिय बैंक खाते में रिफंड किया जाएगा।

9. **आवंटन उपरांत प्रकिया – "आबंटन होने के पश्चात, अभ्यर्थियों को आबंटित संस्था में आबंटन पत्र में उल्लेखित प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि तक स्वयं उपस्थित होकर दस्तावेजों की संवीक्षा कराना अनिवार्य होगा। आबंटन पश्चात संस्था में संवीक्षा हेतु उपस्थित न होने की स्थिति में अभ्यर्थी चालू शैक्षणिक सत्र में काउंसिलिंग व प्रवेश प्रक्रिया से स्वयमेव बाहर हो जायेगा। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा, किन्तु निजी चिकित्सा महाविद्यालय / शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय / निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश लेना अनिवार्य नहीं है। किन्तु, सभी आबंटित अभ्यर्थियों को संवीक्षा करवाना तथा संवीक्षा में पात्र होना अनिवार्य है।**

10. यदि शासकीय / निजी / अप्रवासी भारतीय नियतांश (**NRI**) सीट में *प्रथम चरण के उपरान्त किसी भी चरण में आवंटन होता है,* तथा आवेदक द्वारा प्रवेश नहीं लिया जाता है तो, जमा की गई पंजीयन शुल्क *(सुरक्षा निधि राशि)* राजसात (**Forfeit**) हो जायेगी।

11. **काउंसिलिंग की समस्त प्रकिया (पंजीयन राशि भुगतान, संस्था तथा विषय चयन, च्वाईस लॉकिंग इत्यादि) अभ्यर्थी द्वारा स्वंय की जाती है, इसलिए अपूर्ण अथवा गलत जानकारी प्रदाय करने की स्थिति में अगर अभ्यर्थी का पंजीयन अथवा आबंटन निरस्त किया जाता है, तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी केवल अभ्यर्थी की होगी एवं यह कार्यालय अथवा काउंसिलिंग समिति किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगी।**

(आयुक्त चिकित्सा शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

07/08/26

अध्यक्ष,
काउंसिलिंग समिति,
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा